

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 358 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 01/08/2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट-कफल्टा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.445 हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/45918/2020)

संदर्भ :- आपका पत्रांक- 2065/12-1, दिनांक 28.03.2024

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक 521/12-1 दिनांक 29.07.2024 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- तीन प्रतियों में।

भवदीय

(डा० विनय भार्गव)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

१०

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 521 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 29-7- 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊं वृत्त
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट-कफल्ता मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.445 हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/45918/2020)

संदर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत की पत्र संख्या-1359/2सी, दिनांक 24.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण पर कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 2065/12-1 दिनांक 28.03.2024 से 16 बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है, जिसके आधार पर अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

1. प्रस्ताव में एन०पी०वी० की धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित नई प्रचलित दरों के अनुसार आंकलन कर प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि नई दरों पर NPV के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गयी हैं।
2. भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या- FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है:-	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आख्या अपलोड कर दी गयी है।
a. In respect of linear projects, the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency. उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड किया जाए।	उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड किया गया है।
b. The provisions of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.	उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड किया गया है।


उक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण हेतु कुछ अतिरिक्त सूचनाएं मांगी गई हैं जो निम्न प्रकार प्रेषित है -

चाही गई सूचना	प्रेषित सूचना
1. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना उचित होगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात मक डंपिंग स्थलों को समतलीकरण किया जायेगा। वन विभाग द्वारा जो भी कार्य योजना तैयार की जायेगी उसके अनुसार किया जायेगा।
2. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि डंपिंग स्थलों पर मलवे को सुनियोजित ढंग से डाला जायेगा। जिसका स्थिरीकरण कर उसके ऊपर वृक्षारोपण किया जायेगा। जिस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है।
3. डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी के लिये उपयोग में लाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात डंपिंग यार्डों को समतलीकरण कर आवश्यकतानुसार जनता हेतु व्यू प्वाइंट का निर्माण किया जायेगा।
4. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को वेंचस में इस प्रकार विभाजित किया जाये कि वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधारोपण करने में सुविधा हो।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि डंपिंग स्थलों में मलवे डालने से पूर्व वायरक्रेट की दीवारें दी जायेंगी जिससे मलवा इधर-उधर न बिखरे।
5. पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जाये।	डंपिंग स्थलों पर वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग की देख-रेख एवं वन विभाग द्वारा किया जायेगा। उक्त मद में जो भी व्यय हो वह इस विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
6. मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Mycorrhizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। से पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।	डंपिंग स्थलों पर वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग की देख-रेख एवं वन विभाग द्वारा किया जायेगा। उक्त मद में जो भी व्यय हो वह इस विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
7. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्य के दौरान मलवे को डंपिंग स्थलों में वन विभाग की सहमति के अनुसार डम्प किया जायेगा।
8. वैकल्पिक/ औचित्य-प्रयोक्ता एजेन्सी मलवा निपटाने के लिए वैकल्पिक साइट (केएमएल फाइल के साथ) और प्रस्तावित अतिरिक्त डंपिंग जोन के लिए उचित औचित्य/टिप्पणियां देगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान के0एम0एल0 फाइल अलग से प्रेषित की जायेगी।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्तावित सड़क की आवश्यकता का औचित्य प्रस्तुत करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण ग्राम कफल्टा तक किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम कफल्टा की आबादी 696 है। अभी तक यह ग्राम मोटर मार्ग से वंचित है। जिस कारण इस मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है।
10. के0एम0एल0 फाइल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गांव के पारा सभी मौजूदा सड़कों को चिन्हित किया जाए मौजूदा सड़कों और प्रस्तावित सड़कों को अलग-अलग रंगों से चिन्हित किया जाए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आसपास के मोटर मार्गों को के0एम0एल0 में दर्शा दिया गया है।

11. बार चार्ट के अवलोकन से प्रदर्शित हो रहा है कि बार चार्ट में वन भूमि और गैर वन भूमि के लिए लगभग एक ही रंग का उपयोग किया गया है। वन भूमि और गैर-वन भूमि का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग-अलग रंगों का उपयोग करके बार चार्ट अपलोड किया जाए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बार चार्ट में आरक्षित वनभूमि में हरा, सिविल सौयम भूमि में पीला एवं प्राईवेट भूमि में गूरा रंग कर दिया गया है।
12. प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुए SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। (प्रति संलग्न)	प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुए SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए संलग्न की जा रही है।
13. प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
14. प्रश्नगत प्रकरण में बांज वृक्षों का पातन निहित है, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति प्रस्ताव में संलग्न करें।	बांज वृक्ष से सम्बन्धित प्रमाण पत्र हेतु वन संरक्षक उत्तरी कुमार्क वृत्त द्वारा दिनांक 10.07.2023 को स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त निर्गत पत्रांक 1136/12-1 दिनांक 28.10.2023 द्वारा बांज वृक्षों के पातन से पर्यावरण में होने वाली क्षति को न्यून करने हेतु मार्ग से लगे बांज क्षेत्र में ए0एन0आर0 कार्य किये जाने बावत् चम्पावत रेंज के 40 कान्तेश्वर क0 11वीं में 10 है0 का क्षेत्र चयनित किया गया है। जिसका प्राक्कलन इस कार्यालय के पत्रांक 2710/12-1 दिनांक 15.12.2023 द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमार्क को प्रेषित किया गया है, को संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में शेष आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमार्क के द्वारा अपने स्तर से भरने की कार्यवाही की जानी है। अतः यह आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमार्क अपने स्तर से भरने हेतु कार्यवाही करने की कृपा करें।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(आर0सी0काण्डफाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Ⓜ

पत्रांक 521 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।



प्रभागीय वनाधिकारी,

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Ⓜ

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत
चतुरकोट-कफल्टा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. ईको-क्लास श्रेणी | - V th |
| 2. हरियाली का घनत्व (प्रतिशत) | - 0.4 (40%) |
| 3. एन0पी0वी0 की (दर प्रति हे0) | - 1292850.00 |
| 4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0) | - 3.455 है0 |
| 5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रू0) | - 4466796.75 |


सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0 नि0 वि0
चम्पावत


अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.
चम्पावत


वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र


प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।


प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत



E-Mail : eechampawat@rediffmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

& Fax No. 05965-230034

eechampawat@gmail.com

पत्रांक :- 1359/2 सी
सेवा में,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, चम्पावत
पत्रांक 9705 दिनांक 24/05/2024
प्रस्ताव संख्या 12-1
दिनांक 27-5-2024

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

विषय:- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट-कफल्टा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.445 हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/45918/2020)

संदर्भ:- ऑनलाईन आपत्ति दिनांक 06-04-2024
महोदय,

विषयक मोटर मार्ग में पड़ने वाले वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाईन किये गये हैं। जिनकी हार्ड प्रति आपके कार्यालय में एवं वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊ वृत्त अल्मोड़ा एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक देहरादून के कार्यालय में प्रेषित किये गये हैं। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के पत्रांक 2065/ 12-1 देहरादून दिनांक 28 मार्च 2024 के द्वारा कुछ कमियां इंगित की गयी हैं। कमियों का निराकरण निम्न प्रकार किया जा रहा है।

1. प्रस्ताव में एन0पी0बी0 की धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित नई प्रचलित दरों के अनुसार आंकलन कर प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	नई दरों पर NPV के प्रमाण पत्र की 1 प्रतियां संलग्न हैं।
2. भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या- FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है:-	उक्त आख्या अपलोड कर दी गयी है।
a. In respect of linear projects, the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency. उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड किया जाए।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से किसी प्रकार के वन्य जीव को हानि नहीं हो रही है। प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 2.20 में संलग्न है। पुनः छायाप्रति संलग्न है।
b. The provisions of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से किसी प्रकार के वन्य जीव को हानि नहीं हो रही है। प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 2.20 में संलग्न है। पुनः छायाप्रति संलग्न है।

सर्वप्र

प्र

प्र

उक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण हेतु कुछ अतिरिक्त सूचनाएं मांगी गई हैं जो निम्न प्रकार प्रेषित हैं।

चाही गई सूचना	प्रेषित सूचना
1. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना उचित होगा।	मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात मक डंपिंग स्थलों को समतलीकरण किया जायेगा। वन विभाग द्वारा जो भी कार्य योजना तैयार की जायेगी उसके अनुसार कार्य किया जायेगा।
2. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।	डंपिंग स्थलों पर मलवे को सुनियोजित ढंग से डाला जायेगा। जिसका स्थिरीकरण कर उसके ऊपर वृक्षारोपण किया जायेगा। जिस हेतु प्रमाण संलग्न है।
3. डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी के लिये उपयोग में लाया जायेगा।	निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात डंपिंग यार्डों को समतलीकरण कर आवश्यकतानुसार जनता हेतु व्यू प्वाइंट का निर्माण किया जायेगा।
4. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को वेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये कि वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।	डंपिंग स्थलों में मलवे डालने से पूर्व वायरक्रेट की दीवारें दी जायेंगी जिससे मलवा इधर-उधर न बिखरे।
5. पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERT) द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जाये।	डंपिंग स्थलों पर वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग की देख-रेख एवं वन विभाग द्वारा किया जायेगा। उक्त मद में जो भी व्यय हो वह इस विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
6. मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Mycorrhizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। से पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।	डंपिंग स्थलों पर वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग की देख-रेख एवं वन विभाग द्वारा किया जायेगा। उक्त मद में जो भी व्यय हो वह इस विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
7. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीक को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।	निर्माण कार्य के दौरान मलवे को डंपिंग स्थलों में वन विभाग की सहमति के अनुसार डम्प किया जायेगा।
8. वैकल्पिक/ औचित्य-प्रयोक्ता एजेन्सी मलवा निपटान के लिए वैकल्पिक साइट (केएमएल फाइल के साथ) और प्रस्तावित अतिरिक्त डंपिंग जोन के लिए उचित औचित्य/टिप्पणियां देगी।	मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान के0एम0एल0 फाइल अलग से प्रेषित की जायेगी।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्तावित सड़क की आवश्यकता का औचित्य प्रस्तुत करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण ग्राम कफल्टा तक किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम कफल्टा की आबादी 696 है। अभी तक यह ग्राम मोटर मार्ग से वंचित है। जिस कारण इस मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है।

10. के0एम0एल0 फाइल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गांव के पारा सभी मौजूदा सड़कों को चिन्हित किया जाए मौजूदा सड़कों और प्रस्तावित सड़कों को अलग-अलग रंगों से चिन्हित किया जाए।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के आसपास के मोटर मार्गों को के0एम0एल0 में दर्शा दिया गया है। जिसे अलग से प्रेषित किया जा रहा है।
11. बार चार्ट के अवलोकन से प्रदर्शित हो रहा है कि बार चार्ट में वन भूमि और गैर वन भूमि के लिए लगभग एक ही रंग का उपयोग किया गया है। वन भूमि और गैर-वन भूमि का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग-अलग रंगों का उपयोग करके बार चार्ट अपलोड किया जाए।	बार चार्ट में आरक्षित वनभूमि में हरा, सिविल सोयम भूमि में पीला एवं प्राईवेट भूमि में भूरा रंग किया गया है।
12. प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुए SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेष पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। (प्रति संलग्न)	साईट इन्सपैक्सन रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित की जानी है। अतः अपने स्तर से यह बिन्दु भरने की कृपा करें।
13. प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
14. प्रष्णगत प्रकरण में बांज वृक्षों का पातन निहित है, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति प्रस्ताव में संलग्न करें।	बांज वृक्ष से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में आख्या वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊ वृत्त द्वारा दी जानी है। अतः यह आख्या वन संरक्षक कुमाऊ वृत्त से भरने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त सूचनायें पार्ट I एवं Additional information में ऑनलाईन की जा चुकी हैं। अनुरोध है कि उक्त सूचना अपने स्तर से उच्चधिकारियों को प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्न:- उक्तानुसार, (पॉच प्रतियों में)।


सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0,
चम्पावत।


सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0,
चम्पावत।

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट-
कफलटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

मलवा निस्तारण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 3.455 हे० वनभूमि प्रभावित हो रही है जिसमें 0.270 हे० में मलवे का निस्तारण (डंपिंग जोन) चयनित किये गये हैं। मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान मलवे को चयनित डंपिंग स्थलों पर ही डम्प किया जायेगा। आवश्यकतानुसार मलवे का निस्तारण करने से पूर्व वायरक्रेट से दीवारों का निर्माण किया जायेगा तत्पश्चात मलवा चयनित डंपिंग स्थलों पर डाला जायेगा। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात डंपिंग स्थलों समतलीकरण कर उसके ऊपर आवश्यकतानुसार व्यू प्वाइंट, वृक्षारोपण वन विभाग की उपस्थित में अथवा वन विभाग द्वारा किया जायेगा। वृक्षारोपण में जो भी व्यय होगा वह वन विभाग के प्रांकलन के अनुसार वन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। वन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार पौधों का रोपण कराया जायेगा। प्रस्तावित डंपिंग स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर मलवे का निस्तारण नहीं किया जायेगा।


अधिशासी अनियन्ता
प्रकल्प निदेशिका
चम्पावत

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट-
कफलटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वनभूमि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आरक्षित वन भूमि 1.4 हे० सिविल भूमि 1.785 हे० मलवा निस्तारण हेतु 0.270 हे० कुल 3.455 हे० वनभूमि प्रभावित हो रही है। उक्त के अतिरिक्त प्राईवेट भूमि 1.015 हे० प्रभावित हो रही है। वन भूमि की स्वीकृति उपरान्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय मजदूरों, निर्माण कार्य में लगी एजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की गन्दगी नहीं की जायेगी। न ही वनभूमि पर मोटर मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं किया जायेगा। प्रस्तावक विभाग यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा है।


अधिसूची :- पन्ना
सूची क्र० एजेन्सी
चम्पावत

परियोजना विवरण :- जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अर्न्तगत चतुरकोट-कफलटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी- V
2. हरियाली का घनत्व- 0.4
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0-845000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- 3.455 हे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि- 2919485.36

Kumar
 प्रमाणित और अभियन्ता
 प्रभासीस (वनाधिकारी) जनपद चम्पावत

AS
 सहायक अभियन्ता,
 प्रांतीय खण्ड, लो०मि०वि०
 चम्पावत (उ०प्र०)

AS
 अभियांसी अभियन्ता,
 प्रांतीय खण्ड, लो०मि०वि०
 चम्पावत (उ०प्र०)

AS

AS
 सहायक अभियन्ता,
 प्रांतीय खण्ड, लो०मि०वि०
 चम्पावत (उ०प्र०)

AS
 सहायक अभियन्ता,
 प्रांतीय खण्ड, लो०मि०वि०
 चम्पावत (उ०प्र०)

परियोजना विवरण :- जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अर्न्तगत चतुरकोट-
कफलटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा
एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन
विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी


आयुक्त अभियन्ता
वन विभाग, लोन्गिनी
चम्पावत (प्रखंड)।


अभियन्ता अभियन्ता
आयुक्त वन, लोन्गिनी-
चम्पावत (प्रखंड)।

10/1/20

परियोजना विवरण :- जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट-
कफलटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी
का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय
पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य
की सीमा अस्कोट से हवाई दूरी लगभग 54.00 कि.मी. एवं नन्धौर से लगभग 58.00 कि.मी. है।

[Signature]
प्रभागीय/वन अधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत

[Signature]
सहायक अभियन्ता
वन खण्ड, लो०वि०वि०
चम्पावत

[Signature]
अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०वि०वि०
चम्पावत (उ०ख० ३)

[Signature]

[Signature]
क०
चम्पावत

[Signature]
चम्पावत

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत के अर्न्तगत चतुरकोट से कफलटा तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 6.00कि०मी०

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चम्पावत के विकास खण्ड, चम्पावत में चतुरकोट से कफलटा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.00 किमी०) प्रस्ताव हेतु चयनित वन भूमि/नाप भूमि, राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

[Signature]
प्रमाणित की जायगी
रा. प्रभागीय वनाधिकारी

[Signature]
अधिसारणी अभियन्ता
जनपद चम्पावत

[Signature]
सहायक अभियन्ता
जनपद चम्पावत

[Signature]
व.प.
13-12-2017

[Signature]
प्रमाणित की जायगी

[Signature]

Wildlife Management Plan
Soil and Moisture Conservation Plan

Project: Chaturkot Kafalta Motor Road (FP/UK/ROAD/45918/2020)

Total Project Cost – 74.30 lac

Wildlife Management Plan and

Soil and Moisture Conservation Plan Cost – 1.50 lac

वर्ष – 2024–25
रेंज – बूम वन क्षेत्र
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
वन विभाग, उत्तराखण्ड।


संक्षिप्त परिचय

चम्पावत वन प्रभाग के अन्तर्गत चीड़, बॉज एवं साल तथा इनकी सहचरी प्रजातियों के वन पाये जाते हैं। जैविक दबाव में निरन्तर वृद्धि तथा प्रतिवर्ष होने वाले अग्निकाण्डों के कारण वनों में चारण योग्य प्रजातियों के वृक्षों एवं घासों में निरन्तर कमी आ रही है तथा पुराने जल स्रोतों में भी पानी की कमी एवं सूखने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसके फलस्वरूप जिस कारण वन्य जीवों के प्राकृतवास की गुणवत्ता में भी गिरावट आ रही है। प्रभाग में वन क्षेत्रों की विविधता के कारण वनों में हाथी, बाघ, तेंदुआ, सियार लोमड़ी स्तौथ वियर, हिमालयन काला भालू आदि विविध प्रजाति के प्रमुख वन्य जीव प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। इस वन प्रभाग के अन्तर्गत दोगाड़ी रेंज तथा बूम रेंज के मैदानी क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुण्ड सामान्यतः दिखायी देते हैं तथा उनके द्वारा आबादी क्षेत्रों में फसलों का नष्ट करने की घटनाएँ होती रहती हैं। वर्ष 2018 में हुई टाइगर गणना में इन दोनों रेंजों के अन्तर्गत 09 बाघ पाये जाने की पुष्टि हुई है। भारत सरकार द्वारा हाथियों की उपस्थिति को देखते हुए बूम एवं दोगाड़ी रेंजों के 148.78 वर्ग किमी. क्षेत्र को एलिफेंट रिजर्व के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रभाग के अन्तर्गत बूम एवं दोगाड़ी रेंजों में वन्य जीवों के प्राकृत वास स्थलों का प्रबन्धन किया जाना आवश्यक है।

उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण:-

प्रभाग की बूम रेंज की निम्न बीट हाथी, बाघ तेंदुआ एवं अन्य वन्य जीवों के प्राकृत वास स्थल है जिनका प्रबन्धन किया जाना आवश्यक है। जिसमें से उपचार हेतु निम्न स्थल चयन किया जा रहा है।

उपचार हेतु चयनित स्थल - कलसनदेव क0 5, बूम रेंज,



वन्य जीवों के वास स्थल बूम रेंज

प्रस्तावित गतिविधियाँ:- वन्यजीवों के प्राकृत वास स्थलों में उनके जीवन के समग्र विकास के लिए अपेक्षित स्थान, भोजन, जल एवं अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्न कार्य प्रस्तावित किये जा रहे हैं:-

1- पानी की व्यवस्था:- बूम रेंज अंतर्गत मुख्य रूप से हाथी, बाघ, तेन्दुआ के वास स्थल विद्यमान है। इन रेंजों के वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले जल स्रोतों में पानी की मात्रा कम होती जा रही है तथा पुराने स्रोत सूखने के कगार पर आ गये हैं। विशेष रूप से गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है तथा मुख्य नदी एवं नालों में ही पानी रह जाता है जिसके फलस्वरूप इन वन्य जीवों को पानी की तलाश में जगह-जगह विचरण करना पड़ता है तथा वे आबादी के क्षेत्रों को रुख करते हैं। वन्य जीवों के लिए जगह-जगह पर सदैव पानी की उपलब्धता हेतु छोटे तालाब जैसे चाल-खाल, पुराने तालाबों का सुदृढीकरण, जल स्रोतों का उपचार तथा छोटे वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाकर भी वर्षा जल का संचय किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त कार्यों को इस परियोजना में प्रस्तावित किया जा रहा है।

2- वन्य जीवों के आहार की उपलब्धता में वृद्धि:- शाकाहारी वन्य जीवों के आहार की उपलब्धता में वृद्धि होने से इनकी संख्या में वृद्धि होती है तथा प्रकरान्तर में मांसाहारी जीवों की आहार उपलब्धता में वृद्धि होती है। प्राकृत वास में शाकाहारी जीवों के आहार में उपलब्धता में वृद्धि के लिए प्राकृतिक चारा घासों को नुकसान पहुंचाने वाली खरपतवार के फैलाव को रोकने हेतु लैन्टाना एवं काला बासा का उन्मूलन कर उक्त क्षेत्रों में जल संग्रहण हेतु चाल-खाल निर्माण कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है।

Wild Life Management Plan Soil and Moisture Conservation Plan

Project- Chaturkot Kafalta Motar Road (FP/UK/ROAD/45918/2020)

Total project Cost – 74.30 lac

Cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture

Conservation Plan - As per letter no. of MOEFCC GOI New Delhi FC-11/43/2021 Dated 16-01-2023, in respect of linear project the stipulated norms of 2 percent and 0.5 percent towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture conservation plan as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to extent to forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more should be charged from user agency.

Total land involved in the project - 4.470 ha.

Total forest land involved in the project - 3.455 ha.


Cost of the Wildlife Management Plan and

Soil and Moisture Conservation Plan


(2.5% of project cost involving forest land) – 1.50 lac

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तालिका

क्र.सं.	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर	अभ्युक्ति		एस.ओ.आर. क.सं.
					भौतिक	वित्तीय (लाख में)	
1	चाल खाल निर्माण	सं०	5	5000.00	5	0.25	4.4
2	कालाबांसा / लैन्टाना उन्मूलन (प्रथम वर्ष)	है०	5	12493.00	5	0.62	7.1.1
3	कालाबांसा / लैन्टाना उन्मूलन (द्वितीय वर्ष)	है०	5	4123.00	5	0.20	7.1.3
4	कालाबांसा / लैन्टाना उन्मूलन (तृतीय वर्ष)	है०	5	1249.00	5	0.06	7.1.5
4	अन्य महत्वपूर्ण कार्य / आकस्मिक व्यय (वनाग्नि सुरक्षा आदि)	-	-	-	1	0.37	
	कुल योग	-	-	-	-	1.50	


वन क्षेत्राधिकारी,
बूम रेंज,


उप प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत


प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Check list for site inspection by the DFO/CF/CCF/APCCF

S.N.	PARTICULAR	COMMENTS OF INSPECTING OFFICER
1	Extent in hectares	3.455 ha
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	Starting point – Chaturkot – N 29°11'11.860" E 80° 09' 35.32" Ending point – Kafalta – 29° 16' 37.02" E 80° 09' 56.68"
3	Legal status of the forest land(PF/RF/other types of forest land)	RF, Civil forest land
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Yes
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	0.4% density. Species: <i>Quercus leucotrichophora</i> , <i>Myrica esculenta</i> , <i>Rhododendron arboretum</i> and <i>Lyonia ovalifolia</i> .
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	Himalayan Goral, Barking deer, Leopard, Monkey etc. are found in this area.
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	Mixed Oak forest.
10	Current land use in this area managed as per prescriptions in the Working Plan and if not why?	The area comprises of mixed forest. Working plan for the division is being revised. Hence, there is no current land use being undertaken in this area.
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	No historical or religious monuments are situated nearby.
12	Any dependent persons/families on this land.	No
13	Any displacement of persons proposed.	No
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	No
15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	<ul style="list-style-type: none"> • East Kranteshwar compart no. 10 comprising of 6.91 ha degraded forest land is suitable for CA purpose. • GPS Coordinates: 29°18'28.0" N 80°11'42.0" E 29°18'29.0" N 80°11'42.8" E 29°18'29.2" N 80°11'36.5" E 29°18'31.6" N 80°11'44.4" E 29°18'31.6" N 80°11'44.4" E • The Working Plan of the Division is being revised. Hence, no prescription has been given for the area. • Single patch of land has been taken for CA.
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. area.	The proposed area does not fall under any protected area. It is more than 10.km away from Nandhaur Wildlife Sanctuary.

17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	No dependence of tribals in this area.
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	It will help to connect the villagers of Chaturkot and Kafalta to Champawat- Manch-Tamli motor road.
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	NA
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site specific projects.	NA
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non- forestry purpose is bare minimum.	Certificate uploaded by the User Agency.
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	NA
23	Any other issue of significance.	-
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project.	Project is in public interest. Hence, recommended.

Signature- 

Name- (R.C. Kanepal)

Designation - DFO Champawat

Seal- प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत